

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

दिनांक - सीडर / 2022 / 645

दिनांक :- 4.8.2022

मुकदमा नंबर 53 / 2022

पार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गुणेशाराम पुत्र टीकमारामजी कौम सुथार साकिन गुन्दावाडी, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पूनमा पुत्र खीमसिंह राजपुरोहित नि० गुन्दावाडी</li> <li>2. मोहनसिंह पुत्र अजीतसिंह</li> <li>3. तुलछसिंह पुत्र अजीतसिंह</li> <li>4. हरीसिंह पुत्र अजीतसिंह</li> <li>5. किशनसिंह पुत्र अजीतसिंह</li> <li>6. शैतानसिंह पुत्र अजीतसिंह</li> <li>7. अचलसिंह पुत्र रूपसिंह</li> <li>8. माधुसिंह पुत्र रूपसिंह</li> <li>9. गुमानसिंह पुत्र रूपसिंह</li> <li>10. राजोंकवर बेवा रूपसिंह</li> <li>11. दीपसिंह पुत्र करणसिंह</li> <li>12. शिवसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपुरोहित साकिन भाखरसर तह० पचपदरा</li> <li>13. तीर्थराज पुत्र माधारामजी</li> <li>14. नरेश पुत्र माधारामजी</li> <li>15. सीतादेवी विधवा माधारामजी</li> <li>16. पिरेंद्र पुत्र जवारारामजी</li> <li>17. झमुदेवी विधवा बाबूलालजी</li> <li>18. योगेश पुत्र बाबूलालजी</li> <li>19. पुरुषोत्तम पुत्र बाबूलालजी</li> <li>20. हरीश पुत्र बाबूलालजी कौम गुरु साकिन पाटोदी तह० पचपदरा (विप्रार्थी संख्या 19, 20, 21 नाबालिंग जरिय कुदरती वलीया माता मुस्मात झमुदेवी बेवा बाबूलालजी विप्रार्थी संख्या 18)</li> <li>21. मांगीलाल पुत्र नेनाजी</li> <li>22. ओमप्रकाश पुत्र नेनाजी</li> <li>23. भंवरलाल पुत्र नेनाजी कौम गुरु साकिन पाटोदी</li> <li>24. धुडाराम पुत्र खेतारामजी कौम प्रजापत</li> <li>25. महेश कुमार पुत्र केवलचन्द कौम ओसवाल साकिन पचपदरा कौम गुरु साकिन पाटोदी</li> <li>26. कमलेश कुमार पुत्र. देवीचन्दजी कौम सकलेचा ओसवाल साकिन पचपदरा।</li> <li>27. राजस्थान सरकार जरीये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर।</li> </ol>



आदेश


दिनांक :- 4.8.2022

उपर्युक्त प्रकरण मौजा गुन्दावाडी पटवारी क्षेत्र पाटोदी भू-निरीक्षक क्षेत्र पाटोदी तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं० 3953 रकबा 20-09 बीघा दोयम विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावें कमिश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित किया जाता है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(नरेश सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) बालोतरा



प्रतिलिपि :- तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें।



  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) बासोतरा